6

सामूहिक सुरक्षा
(Collective Security)

'एक सबके लिए और सब एक के लिए (One for all and all for one) मार्गेन्थो द्वारा दी गई सामूहिक सुरक्षा (Collective Security) के मूलभूत सिद्धांत से संबद्ध इस उक्ति की अभिव्यक्ति 1919 में गठित राष्ट्र संघ (League of Nations) और 24 अक्टूबर, 1945 को अस्तित्व में आए संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O.) की मूल धाराओं में स्पष्टत: दिखाई पड़ती है। सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत ने राष्ट्र संघ के रूप में प्रथमत: संगठनात्मक आधार रूप धारण किया। लेकिन सामूहिक सुरक्षा शब्द का प्रयोग उक्त दोनों संस्थाओं की प्रसंविदा (Convent) में नहीं हुआ है। दोनों की प्रसंविदा की धाराओं में सदस्य राष्ट्रों द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करने तथा बाह्य आक्रमणों के विरुद्ध एकजुटता के संकल्प भाव में सामूहिक सुरक्षा संधि में सामूहिक सुरक्षा की भावना के विकास का प्रारंभ हुआ माना जाता है। इस संधि के अनुच्छेद-17 (Art-17), स्पष्ट किया गया था कि-संविदा (Contract) करने वाले सभी प्रत्येक पक्ष को इस शांति संधि के प्रत्येक और सब रूपों की प्रतिरक्षा एवं अस्तित्व रक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, चाहे इसके विरोध में खड़ा होने वाला कोई भी क्यों न हो।' (All and each of contracting Parties shall be held to defend and maitain all and each of the disposition of this peace, against whomsoever it may be-G.A. Finch: The Source of Modern International Law) वैसे सामूहिक सुरक्षा का विचार सही मायनों में 1902 में अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा किए गए शांति के आह्वान में दिखाई पड़ता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'संसार के सभी सभ्य व व्यवस्था प्रिय राष्ट्र समुचित देखभाल करने व शांति व्यवस्था बनाए रखने का भरसक

Scanned with CamScanner

प्रयत्न करें।' सामूहिक सुरक्षा के संबंधित इस वाक्य की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रथम विश्वयुद्ध के समय रूजवेल्ट की सामूहिक रूप से आक्रमण रोकने की विचारधारा में स्पष्ट रूप से झलकती है। एक अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन (जिन्हें सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के द्वारा शांति स्थापित करने के विचार का प्रबल पक्षधर माना जाता है।) के समर्थन व प्रचार ने सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को राष्ट्र संघ की प्रसंविदा में स्थान दिला दिया।

सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा के एक सिद्धांत का आकार-प्रकार देने का श्रेय राष्ट्र संघ (League of Nations) को जाता है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मॉडल को विकसित एवं शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ ने मजबूती प्रदान की। इस परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष नामक पुस्तक में डॉ. महेन्द्र कुमार ने बताया है-'राष्ट्र संघ के अंतर्गत तो सामूहिक सुरक्षा एक नए विचार की स्वीकृति की सूचक थी, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा राष्ट्र द्वारा पहले ही स्वीकृत विचार के अधिक कारगर तरीके से कार्य करने की लगन की द्योतक है। इस प्रकार राष्ट्र संघ के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक क्रांति की सूचक और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत वह उस क्रांति के फलों को मजबूत बनाने के प्रयत्नों की सूचक है।' लीग के प्रसंविदा के त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में किया गया, ऐसा कर सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के उद्देश्यों को चार्टर की धाराओं में शामिल किया गया। सामूहिक सुरक्षा की भावना किसी भी आक्रमणात्मक कार्यवाही को अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में व्यवधान मानती है, इसलिए सामूहिक सुरक्षा की भावना शांति एवं सुरक्षा हेतु संसार के समस्त राष्ट्रों द्वारा संयुक्त कार्यवाही को कार्यान्वित करने का संदेश देती है।

अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखने तथा उसकी प्राप्ति के लिए सामूहिक सुरक्षा की भावना एक अमूल्य साधन के रूप में पहचानी जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषकों का मानना है कि ये साधन अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा (Peace & Security) को कारगार ढंग से बनाए रखने में मददगार साबित होंगे। सामूहिक सुरक्षा की भावना में सभी राष्ट्रों के मध्य सहकार भाव निहित होता है जिसे साझे हित की संज्ञा भी दी जाती है। शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करना वैध साझा हित ही है। इसके लिए समस्त राष्ट्रों द्वारा मौलिक जिम्मेदारी लेने का स्पष्टतः वचन देन पड़ता है। समस्त राष्ट्र एक संयुक्त लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, संप्रति यही प्रयास 'एक सबके लिए सब एक के लिए' (One for all and all for one) जैसी संकल्पना को व्यवहारिकता प्रदान करते हैं। सामूहिक सुरक्षा को शांति के अभिगम (Approach to Peace) के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस व्यवस्था के द्वारा युद्ध या किसी भी आक्रमणात्मक कार्यवाही पर विराम लगाया जा सकता है। इस संबंध में जैकब तथा एथर्टन (Jacob and Atherton) ने बताया है कि 'सामूहिक सुरक्षा जैसी संकल्पना का

Scanned with CamScanner

मूल बतलाया है कि यह राज्यों के मध्य एक पारस्परिक आश्वासन समझौता है। प्रत्येक राष्ट्र अन्य सभी राष्ट्रों को सुरक्षा की गारंटी देते हैं और इसी गारंटी के वायदे की वजह से अन्य राष्ट्रों द्वारा उसे अपनी सुरक्षा की गारंटी मिलती है। (A Mutual Assurance contact among the states. Each state undertakes to guarantee the security of all the others, and for this premium presumably receives coverage for its own security through the commitments made by other. Jacob and Atherton).

सामान्यत: सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत उन आधारों पर आधारित है जहाँ किसी एक राष्ट्र पर किया गया आक्रमण संसार के समस्त राष्ट्रों के विरुद्ध आक्रमण माना जाता है। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रभावित करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध अन्य राष्ट्र सामूहिक रूप से विरोधात्मक स्वर मुखरित करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में श्लीचर (Schlieacher) महोदय ने लिखा भी है- 'सामूहिक सुरक्षा राज्यों के मध्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत सभी एक करार करते हैं कि किसी भी राज्य के किसी अन्य राज्य के विरुद्ध युद्ध और आक्रमणात्मक कार्यवाही में संलग्न होने की स्थिति में, सभी आक्रांत की मदद करेंगे।' (Collective security is an arrangement among states in which all promise, in the event any member of the system engages in certain prohibited act (war and aggression) against another member, to come to letter's assistance. – Schliecher) सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा न केवल आक्रमण की संभावना के विश्वास पर अपितु विश्व सरकार (World Government) की संभावना के विश्वास पर भी बल देती है। विश्व सरकार विश्व शांति एवं सुरक्षा हेतु विभिन्न संगठनों के सामूहिक उपाय के साथ सामूहिक कदम उठाने को महत्व प्रदान करती है। कुद ऐसी ही भावना को पामर तथा पर्किन्स ने भी मुखरित किया है- 'सामूहिक सुरक्षा का स्पष्टत: सार है शांति पर आरोपित खतरों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयत्न करना।' (Collective Security clearly implies collective measures for dealing with threats to peace.–Palmer and Perkins)

एक सबके लिए और सब एक के लिए जैसी मूल अवधारणात्मक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु कुछ प्रमुख अपरिहार्य तत्व है जिन पर अवधारणा को बल मिलता है- (क) अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में किसी एक राष्ट्र की सुरक्षा पर संभावित खतरा संपूर्ण विश्व की चिंता का विषय माना जाएगा। (ख) किसी भी राष्ट्र पर की गई आक्रमणात्मक कार्यवाही सभी राष्ट्रों पर आक्रमण माना जाएगा। (ग) यदि किसी राष्ट्र की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो ही जाए अन्य सभी राष्ट्र मिलकर प्रभावित राष्ट्र को सहायता प्रदान करेंगे। (घ) समस्त राष्ट्रों की उपयुक्त सहयोग सामंजस्य की भावना ही सामूहिक सुरक्षा को बल प्रदान करती है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के इन तत्वों को प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नायडू ने कुछ पूर्व शर्तों पर ही आधारित माना। जिसमें (1) किसी भी संघ या संगठन के भीतर सामूहिक सुरक्षा

Scanned with CamScanner

संबंधी सिद्धांत में समस्त राष्ट्रों द्वारा आपसी विश्वास कायम करना। (2) सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था सिद्धांत के अधीन अपनाए जा रहे सुरक्षा प्रयासों को समर्थन प्रदान करना। (3) इस प्रकार के कार्यों की निष्पक्षता में विश्वास एवं आपसी भाईचारे की भावना में विश्वास प्रकट करना। (4) समस्त राष्ट्रों द्वारा विश्व में कहीं भी अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सामूहिक सुरक्षा पर किसी भी संघर्ष या आक्रमणात्मक कार्यवाही को समस्त मानव हित में अनुचित करार देना। (5) सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अधीन एक-दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता एवं प्रादेशिक अखण्डता पर किसी प्रकार के आँच न आने देने के लिए वचनबद्ध होना। (6) नि:शस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण (Disarmament and Arms Control) जैसे कार्यक्रमों को समर्थन देना। (7) उपरोक्त सभी शर्तों को सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए सभी या अधिकांश राष्ट्रों द्वारा सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित करना।

वस्तुत: ठोस सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत को मार्गेन्थो ने कुछ तथ्यों पर आधारित मानकर उसके व्यवस्था की सफलता को सुनिश्चित किया है। जिनमें (1) सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था हमेशा इतनी ठोस एवं शक्तिशाली होनी चाहिए जिससे कोई भी राष्ट्र किसी प्रकार की आक्रमणात्मक कार्यवाही को कार्यान्वित न कर सके। (2) सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के समस्त सदस्य राष्ट्रों की नीतियाँ उसके विचारों एवं मान्यताओं में एकरूपता जरूर होनी चाहिए। (3) सफल सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपने राजनीतिक हितों की परवाह न कर एक-दूसरे व प्रति समर्पित होना चाहिए।

कोई भी अकेला राष्ट्र किसी भी बड़े शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा की गई आक्रमणात्मक कार्यवाही का सामना आसानी से नहीं कर सकता, इसी कारण अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा विषयक प्रश्न पर विश्व के समस्त राष्ट्र पारस्परिक एकजुटता प्रदर्शित करते हैं। यह पारस्परिकता का भाव ही सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करता है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था 'एक सबके लिए और सब एक के लिए' सिद्धांत पर आधारित होने के कारण किसी एक राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता सबकी चिंता का विषय बन जाती है और जिसका सामना सभी सामूहिक रूप से करते हैं।

सामूहिक सुरक्षा और राष्ट्र संघ (Collective Security and League of Nations)

सामूहिक सुरक्षा विषयक अवधारणा को 1919 में अस्तित्व में आए राष्ट्र संघ (League of Nations) की प्रसंविदा (Convent) के अनुच्छेद 10-17 तक हुए सामूहिक सुरक्षा संबंधी कार्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण माध्यमों द्वारा निस्तारित करना था। प्रसंविदा के अनुच्छेद-10 स्पष्ट किया गया था कि 'संघ के सदस्य राष्ट्र अन्य सभी सदस्य राष्ट्रों की प्रादेशिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता

Scanned with CamScanner

का सम्मान करने तथा उन्हें बाह्य आक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का वचन देते हैं। इस प्रकार किसी आक्रमण के होने अथवा उस आक्रमण की धमकी अथवा उसके द्वारा भय उत्पन्न होने की अवस्था में राष्ट्र संघ की परिषद उन साधनों के बारे में परामर्श देगी जिनसे इस उत्तरदायित्व की पूर्ति की जा सकेगी।' प्रसंविदा के अनुच्छेद-16 में बतलाया गया है कि 'सामूहिक सुरक्षा में मूल सिद्धांत के प्रति संघ के सदस्य राष्ट्रों किसी राष्ट्र के विरुद्ध आक्रमण की हालत में किस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट करनी है।' संप्रति सभी सदस्य राष्ट्र आवश्यकता पड़ने पर सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए उचित उठाने को प्रतिबद्ध थे। 1942 का जेनेवा प्रोटोकाल (Geneva Protocol) राष्ट्र संघ की स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास था।

उपरोक्त प्रयासों एवं व्यवस्थाओं के बावजूद राष्ट्र संघ के अंतर्गत निर्मित सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं किए जा सके। इन सिद्धांतों को सदस्य राष्ट्रों ने न्यायपूर्ण शांति की स्थापना का साधन न मानकर सिर्फ उसे अपने राष्ट्रीय हितों, उद्देश्यों की पूर्ति का साधन माना। जहाँ एक ओर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संघ की सदस्यता ग्रहण नहीं की, वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ पृथक रहकर अपनी शक्ति वृद्धि करता रहा, साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय कर्त्तव्यों को निभाने के लिए इंग्लैंड द्वारा संघ के अनुग्रह प्रयास को उचित सम्मान न देना, फ्रांस द्वारा सामूहिक सुरक्षा को दरकिनार पर अपनी सुरक्षा को ही प्रमुख स्थान देना और बाद के वर्षों में जापान, जर्मनी तथा इटली द्वारा उक्त व्यवस्था की खुलेआम अवेहलना करना आदि सभी तत्व सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की असफलता के भागीदार बने। संप्रति सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित संघ की प्रसंविदा के अनुच्छेद 16 को कभी भी क्रियान्वित नहीं किया गया। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का विश्लेषण करने के पश्चात् पामर तथा पर्किन्स (Palmer and Perkins) ने पाया कि 'प्रारंभ में महाशक्तियों ने इसकी सदस्यता ग्रहण नहीं की और किसी ने इसकी सदस्यता ग्रहण भी की तो वे सभी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के प्रबल समर्थक नहीं थे।' इस प्रकार संघ की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की असफलता के कारणों में सदस्य राष्ट्रों के बेरुखे प्रयास तथा संघ के संरचनात्मक ढांचे में व्यवस्थागत कमियाँ प्रमुख रूप से जिम्मेदार बनीं। संघ की रही-सही साख द्वितीय विश्व युद्ध ने मिटा दी तथा इसके साथ ही संघ की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था (Collective Security System) का अंत हो गया।

सामूहिक सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र संघ (Collective Security and U.N.O.

राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की असफलता और उसमें व्याप्त कमियों ने विश्व राजनीतिज्ञों को उक्त दूषित व्यवस्था में सुधार करने के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया।

Scanned with CamScanner

संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के समय संस्थापक सदस्यों वे। मन में 'अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा' (International Peace & Security) का भाव विद्यमान था, क्योंकि राष्ट्र संघ की विफलता, द्वितीय विश्व युद्ध परिणति एवं आगामी युद्ध का भय प्रमुख था। अतः प्रत्येक राष्ट्र के हितों की सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा के मध्य अंतनिर्भर-भाव ने सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत (One for all and all for one) को सुदृढ़ता प्रदान की।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर (U.N. Charter) के अंतर्गत जिस सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का खाका (Base) तैयार हुआ वह राष्ट्र संघ के अंतर्गत पाई जाने वाली व्यवस्था की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक रूप से अधिक व्यावहारिक है। अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य दायित्व है। जैसा कि चार्टर (घोषणा पत्र) के पहले अनुच्छेद में भी अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को संयुक्त राष्ट्र की पहली प्राथमिकता के रूप में उल्लिखित किया गया है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को घोषणा पत्र के सातवें अध्याय के अनुच्छेद-39 से 51 तक परिभाषित किया गया है, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सदस्य राष्ट्रों द्वारा सामूहिक कार्यवाही हेतु विस्तृत उपाय बतलाए गए हैं। उपायों को लागू करने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद (Security Council) को सौंपी गई है, जिन्हें अमल में लाना सभी सदस्य राष्ट्रों का परम कर्त्तव्य है।

अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने का प्रमुख दायित्व सुरक्षा परिषद का है। अनुच्छेद-39 के तहत उसे यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह विचार करें कि कहीं शांति भंग हुई है या शांति की धमकी दी गई है या कहीं आक्रमण हुआ है, तो वह अनुच्छेद 41-42 के तहत अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु कार्यवाही सुनिश्चियन की सिफारिश करेगी। अनुच्छेद-43-47 के अधीन सामूहिक सुरक्षा की धारणा के आधार पर सामूहिक सुरक्षा सेना के समर्थन, उसके साधनों तथा उसके प्रयोग की बात कही गई है। अनुच्छेद-48 द्वारा ये अभिनिर्धारित किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने हेतु सुरक्षा परिषद जो कार्यवाही सुनिश्चित करेगी उसे संयुक्त राष्ट्र से सभी सदस्य राष्ट्र कार्यान्वित करेंगे। अनुच्छेद-48 भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था करता है, जहाँ सदस्य राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित कार्यवाही को लागू करने में सहयोग एवं समर्थन देंगे। अनुच्छेद-50 तथा 51 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों और गैर सदस्य राष्ट्रों के मध्य नीतियों और कार्यवाहियों में सामंजस्य पैदा करने की बात कही गई है। लेकिन अनुच्छेद-51 प्रत्येक राष्ट्र को अपने विरुद्ध हुए आक्रमण के समय व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान करता है, ऐसा तब जक जब तक कि सुरक्षा परिषद अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु कोई कारगर कार्यवाही सुनिश्चित नहीं कर लेती।

Scanned with CamScanner

सामूहिक सुरक्षा कार्यवाही के तहत 'शांति के लिए एकता प्रस्ताव' (Uniting for Peace Resolution) को नवंबर, 1950 में महासभा ने स्वीकृति प्रदान की। इस प्रस्ताव के द्वारा महाशक्तियों के वीटो शक्ति (Veto Power) से उत्पन्न मतभेद एवं गतिरोध को सुलझाकर संघ के कार्य संचालन को आसान कर दिया गया। इस प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सामूहिक सुरक्षा की गारंटी देने वाले सिद्धांत की संज्ञा दी। उक्त प्रस्ताव में कमी यह रह गई कि इसमें दो तिहाई बहुमत की बात की गई जिसमें सभी सदस्य राष्ट्रों की भागीदारी के स्थान पर अधिसंख्यक राष्ट्रों को निर्धारक मान लिया गया था। ऐसे कदम से सामूहिक सुरक्षा के मूल भावनाओं की अवहेलना हुई। कोरिया संकट (Korean Crisis) के प्रसंग में 'शांति के लिए एकता प्रस्ताव' को अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने एवं उसकी पुर्नस्थापना के परिप्रेक्ष्य में एक सराहनीय कदम के रूप में देखा गया था, रही बात परिणाम की, तो कोरिया संकट में इसके परिणाम सकारात्मक नहीं रहे।

कोरिया के बाद सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के सामने स्वेज नहर संकट (Suez Canal Crisis), हंगरी का संकट (Hungarian Crisis), लेबनान संकट (Labanon Crisis) जैसी परीक्षा की घड़ियां प्रमुख थीं। इनके अतिरिक्त ईरान-इराक का अनवरत युद्ध, भारत-पाक युद्ध 1947, 1965, 1971 व 1999 भारत चीन युद्ध 1962, अफ्रीकी देशों पर दक्षिणी अफ्रीकी आक्रमण, फिलिस्तीन विवाद, अरब-इजराइल युद्ध एवं अफगानिस्तान समस्या जैसी अन्य घटनाएं अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की असफलता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त उदाहरण प्रस्तुत करती है। संप्रति विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखने में यही स्पष्ट होता है कि विश्व में शीत युद्ध (Cold war) की उपस्थिति, विश्व राजनीति में द्वि-ध्रुवीकरण (Bi-Polarity) विकसित प्रौद्योगिकी में परिवर्तित होते युद्ध एवं आक्रमण के स्वरूप, बढ़ रहे परमाणु खतरों तथा 'शांति के लिए एकता प्रस्तावों को कार्यान्वित करने में संयुक्त राष्ट्र महासभा की असफलता आदि जैसे अनेक कारणों ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर अप्रासंगिक एवं अव्यवहारिक बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए पांचों स्थायी सदस्यों के वीटो (निषेधाधिकार) के प्रयोग मामले में उत्पन्न संघर्ष ने भी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को नष्ट करने में सहयोग दिया, जिस कारण सदस्य राष्ट्र अब अपनी सुरक्षार्थ नाटो (Nato), सिएटो (Seato) सेंटो (Cento) आदि जैसे प्रादेशिक सुरक्षा संगठनों के निर्माण में अपनी सहभागिता प्रदान करने लगे हैं।

असफलता में सफलता भी छुपी होती है, अर्थात् कमियों, कमजोरियों के होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने संघर्ष की विषम परिस्थितियों में भी अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। भारत-बांग्लादेश विवाद, पश्चिम एशिया संकट, खाड़ी युद्ध (1991), कांगों और साइप्रस जैसे मामलों में संयुक्त राष्ट्र ने मध्यस्थता

Scanned with CamScanner

द्वारा नरमी का माहौल पैदा किया। इस उदार माहौल के पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्साह प्रमुख था। द्वितीय विश्व युद्धोपरांत भारत के सह-नेतृत्व में गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment) का सिद्धांत एक अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त के रूप में अस्तित्व में आया, जिसने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को एक आयाम प्रदान किया। सामूहिक सुरक्षा में मानवता को प्रमुख स्थान देने के नाते अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए सभी से सहयोग की अपेक्षा की गई है। विश्व के समस्त राष्ट्रों द्वारा इस आपसी सहयोग, विश्वास एवं समझ के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ को व्यापक समर्थन प्राप्त होगा, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान की दिशा में संयुक्त राष्ट्र भले ही असफल हुआ हो, फिर भी अनेक बार युद्ध की संभावनाओं को टालकर विश्व-शांति (World Peace) की दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्वक निस्तारण के लिए सेफ्टी वाल्ब (Safety value) की भूमिका अदा की है। इस संबंध में पंडित नेहरू ने भी कहा कि 'संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई बार हमारे उत्पन्न होने वाले संकटों को युद्ध में परिणत होने से बचाया है। इसके बिना हम आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते।' वर्तमान परिदृश्य में इस संस्था की सफलता के लिए विश्वव्यापी जनमत (World opinion) जागृत करने की विशेष आवश्यकता है, इसके लिए सदस्य राष्ट्रों में ईमानदारी, त्याग एवं परस्पर विश्वास का भाव व्याप्त होना चाहिए।

सामूहिक सुरक्षा और प्रादेशिक संगठन (Collective Security and Regional Organisation)

प्रादेशिक एवं संघीय (केंद्रीय) संगठनों, संधियों के निर्माण में सामूहिक सुरक्षा का उद्देश्य मुख्य होता है। इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य किसी प्रदेश या किसी भू-भाग की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। लेकिन नेपथ्य में सच्चाई कुछ और ही बताती है-संप्रति विश्व में जो भी प्रादेशिक संगठन बने, जो भी संधियां हुई, सभी ने गुटबंदी को प्रश्रय दिया। नाटो, सीटो, सेंटो एवं वारसा जैसे सैन्य संधि संगठनों ने शांति और सुरक्षा (Peace & Security) के लक्ष्य को दरकिनार कर युद्ध को प्रोत्साहित किया। ऐसे कृत्य भावों से विश्व के साम्यवादी राष्ट्र सोवियत संघ और पूँजीवादी राष्ट्र अमेरिका के मध्य शीत युद्ध (Cold war) में सहयोग न देकर अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को बढ़ाने में अवश्य ही सहयोग दिया है, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ में सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा की दशा-दिशा ही अवरुद्ध हो गई।

सामूहिक सुरक्षा और निःशस्त्रीकरण (Collective Security and Disarmament)

सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की समस्या की सुलझाने में सामूहिक सुरक्षा के साथ निःशस्त्रीकरण (Disarmament) का व्यापक योगदान रहा है।

Scanned with CamScanner

कोहेन ने सामूहिक सुरक्षा और नि:शस्त्रीकरण में प्रकृतिवश घनिष्ठ संबंध स्वीकार किया और बताया कि अगर राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा भावना से ओत-प्रोत होकर किसी संभावित आक्रमण के प्रति भय ग्रस्त हो और अकेलापन महसूस न करें तो शस्त्र नियंत्रण कार्यक्रम की राह आसान हो जाएगी और अपनी प्रतीक्षा हेतु कम अस्त्र-शस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इस दिशा में विश्व स्तर पर अनेक प्रयासों के बावजूद सामूहिक सुरक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी है। नि:शस्त्रीकरण कार्यक्रम को महाशक्तियों की स्वार्थपरक नीतियों के कारण भी सही दिशा प्राप्त नहीं हो सकी है। कोहेन महोदय ने कह तो दिया कि 'सामूहिक सुरक्षा और नि:शस्त्रीकरण विश्व शांति हेतु दो महान साहस है' सही भी है, परंतु वर्तमान परिदृश्य में अस्त्र-शस्त्र रहित विश्व की परिकल्पना संभव नहीं है, इसलिए अब जब तक राष्ट्रों के पास हथियार होंगे तब तक उसके पड़ोसी राष्ट्र अवश्य ही डरे-सहमे रहेंगे।

सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन (Collective Security and Balance of Power)

वर्तमान परिदृश्य में हथियार रहित विश्व की परिकल्पना संभव नहीं भी है तो ऐसी दशा में उनमें संतुलन (Balance) की आवश्यकता है। यह शक्ति संतुलन (Balance of Power) सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को नई दिशा प्रदान करता है। शक्ति संतुलन सिद्धांत एक समूह द्वारा, एक संधि संगठन द्वारा कार्यान्वित होता है, क्योंकि प्राय: विश्व के सभी राष्ट्र प्रादेशिक संधि संगठनों से संलग्न होकर अपने राष्ट्रीय हितों, लक्ष्यों, महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति एवं पूर्ति हेतु शक्ति को प्रयोग में लाते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना उचित है कि जहाँ संतुलन व्यवस्था में शक्ति (अस्त्र-शस्त्र) को सीमित बताया गया है, पर आवश्यक माना गया है, वहीं सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत एक समूह द्वारा, एक संगठन द्वारा विश्व में शांति की स्थापना एवं सुरक्षा हेतु की शक्ति (Power) की बात की गई है। संप्रति सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में शक्ति संतुलन की तुलना में शक्ति कुछ अधिक ही नियंत्रित होती है। क्वींसी राइट (Quincy Wright) महोदय ने सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन को परस्पर विरोधी तथा पूरक दोनों ही मानकर सामूहिक सुरक्षा को शक्ति संतुलन पर भारी बताया है।

सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन, दोनों ही व्यवस्थाओं की प्रकृति सुरक्षात्मक (Defensive) है और दोनों ही युद्ध को साधन (Means) के रूप में स्वीकार करते हैं। बस इतना अवश्य है कि शक्ति संतुलन की व्यवस्था आक्रमणकारी का विरोध गुटबंदी के आधार पर करती है, तो वहीं सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था आक्रमणकारी संतुलन की व्यवस्था को सकारात्मक (Positive) और सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को नकारात्मक (Negative) श्रेणी में रखा जा सकता है।

Scanned with CamScanner

सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक प्रतिरक्षा (Collective Security and Collective Defence)

सामूहिक सुरक्षा (Collective Security) और सामूहिक प्रतिरक्षा (Collective Defence) जैसी व्यवस्थाओं को कभी समान मान लिया जाता है, तो कभी एक-दूसरे को असमान भेद स्पष्ट किया जाने लगता है। सामूहिक (Collective) शब्द का प्रयोग दोनों ही व्यवस्थाओं के लिए किया गया, लेकिन दोनों के कार्य क्षेत्र एवं प्रयोजन में बिल्कुल भिन्नता है। जहाँ प्रतिरक्षात्मक व्यवस्था-प्रादेशिक स्तर पर कार्यान्वित होती हैं, वहीं सुरक्षात्मक व्यवस्था विश्वव्यापी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। अतः इसे इस प्रकार भी स्पष्ट किया जा सकता है कि सामूहिक प्रतिरक्षा की व्यवस्था कुछ राष्ट्रों के समूह द्वारा संपन्न होती है और सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत विश्व व्यापक संस्था के अधीन विश्व के समस्त सदस्य राष्ट्र किसी भी सदस्य राष्ट्र के विरुद्ध आक्रमण का सामना सामूहिक रूप से करते हैं, क्योंकि सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत की मूल अवधारणा ही 'एक सबके लिए सब एक के लिए' (One for all and all for one) का उदाहरण प्रस्तुत करती है।

सामूहिक प्रतिरक्षा व्यवस्था को क्षेत्रीय प्रतिरक्षा व्यवस्था (Regional Defence System) और संधि व्यवस्था (Alliance System) नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO), दक्षिण-पूर्व एशियाई संधि संगठन (SEATO), केंद्रीय संधि संगठन या बगदाद समझौता (CENTO), वारसा संधि संगठन को कार्यरूप प्रदान करते हैं। वहीं सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था शक्ति प्रबंध एवं अन्तर्राष्ट्रीय शांति के एक साधन के रूप में होती है। पामर तथा पार्किन्स ने उक्त दोनों व्यवस्थाओं को कुछ इस प्रकार स्पष्ट किया है- 'सामूहिक प्रतिरक्षा कुछ राज्यों कुछ समय के लिए सीमित सहयोग की गारंटी देती है, वहीं सामूहिक सुरक्षा विश्व के सभी राज्यों के सामूहिक सहयोग, वचनबद्धता एवं दायित्व को प्रकट करती है।

अंततः विश्लेषणोपरांत निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि जिस सामूहिक सुरक्षा के आधार पर राष्ट्र संघ का गठन हुआ और जिसकी प्रसंविदा में सामूहिक सुरक्षा प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख हुआ, वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, व्यापक जन-धन विनाश हुआ, पुनः तृतीय युद्ध न हो, इससे भयग्रस्त राष्ट्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया। यह संगठन कई विवादों को सुलझाने में सफल भले न हुआ, लेकिन अनेक बार युद्ध की संभावनाओं को टालकर विश्व शांति की दिशा में उल्लेखनीय भूमिका अवश्य निभाई है। इस संगठन ने ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना किया है, जहाँ विश्व युद्ध की भूमिका तैयार हो रही थी, वहाँ इसने सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर तृतीय विश्व युद्ध को होने से रोक

Scanned with CamScanner

लिया। संप्रति इसने हालात की गहमागहमी को कम करने के लिए शांति रक्षा के क्षेत्र में एक सेफ्टी वाल्ब (Safety Velve) की भूमिका अदा की है। रही बात शक्ति संतुलन, सामूहिक प्रतिरक्षा एवं प्रादेशिक संगठन के भूमिका की, तो इनसे तदर्थ आधार पर ही सुरक्षा-प्रतिरक्षा का सुनिश्चियन हो सका। हाँ इतना अवश्य है कि इन संगठनों, सिद्धांतों एवं नि:शस्त्रीकरण जैसे कार्यक्रमों ने सामूहिक सुरक्षा को एक सकारात्मक दशा-दिशा प्रदान करने में सहयोग अवश्य दिया।

संदर्भ

1. एच. जे. मार्गेन्थाऊ, अमंग नेशन्स, पृ. 107.
2. वी. वी. वान डाईक, इंटनेशनल पॉलिटिक्स, पृ. 41.
3. डब्ल्यू. एन. होगेन, इंटरनेशनल कानफ्लिक्ट एंड क्लेक्टिव सिक्यूरिटी, पृ. 179.
4. डॉ. महेन्द्र कुमार, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष, पृ. 384.
5. प्रकाश चंद्र, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पृ. 160.
6. ओ. पी. तिवारी, राष्ट्रीय सुरक्षा, पृ. 73.
7. बी. एन. खन्ना एवं लिपाक्षी अरोड़ा, भारतीय विदेश नीति, पृ. 278.
8. पांडेय एवं पांडेय, युद्ध एवं शांति के मूल तत्व, पृ. 201.

Scanned with CamScanner